न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 640 / 2023

अनवान : –

1. सतपाल पुत्र पृथ्वीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 83 / 87 ख0न0 114 की 6.9170 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी की सकूनात रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज है चूंकि वादी करीबन 30–40 वर्षो से दलपतपुरा में निवास कर रहा है इसलिए वादी अपनी सकूनात रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज कर रखा है वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड व जन आधार कार्ड मे वादी का पता दलपतपुरा दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सहीराम पुत्र हरलाल दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम पतराम दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 83 / 87 ख0न0 114 की 6.9170 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादी का पता रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज है एवं वादी अपना पता दलपतपुरा दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड एवं मूलू निवासी आदि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

वादी का पता रायसिंहपुरा अंकित है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 83/87 ख0न0 114 की 6.9170 हैक्ट भूमि में वादी सतपाल पुत्र पृथ्वीराम का पता रूपाणा तहसील सिरसा के स्थान पर दलपतपुरा तहसील नोहर का संशोधन किया जाता है। अगर पता संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 640/2023
अनवान : –

1. सतपाल पुत्र पृथ्वीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 640 सन 2023 निर्णय दिनांक 25/03/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 83/87 ख0न0 114 की 6.9170 हैक्ट भूमि में वादी सतपाल पुत्र पृथ्वीराम का पता रूपाणा तहसील सिरसा के स्थान पर दलपतपुरा तहसील नोहर का संशोधन किया जाता है। अगर पता संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested